

>

Title: Need to inquire the scam in District North Kasa in Assam.

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहटी): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर बात यहां बताना चाहती हूं। असम में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट नार्थ कासा है। वहां बहुत भयंकर घोटाला हुआ, जो घोटाले की सारी सीमाएं क़ास कर गया। अभी रिसेंटली मालूम हुआ कि एक हजार करोड़ रूपए का घोटाला नार्थ कछार हिल्स में हुआ। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टीगेट करके यह निकाला कि इसमें किसी मिनिस्टर का नाम भी था, लेकिन उस मिनिस्टर का नाम बाद में काट दिया गया। अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि चाहे जितने बड़े पद में हो, किसी के खिलाफ प्राइमाफेसी केस हो, कोई एनोमिलीज हो, उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। असम के मिनिस्टर के खिलाफ जो बात आयी थी, उसमें उनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। केंद्र से वहां पैसा जाता है। यह अनुसूचित जनजाति प्रधान डिस्ट्रिक्ट है और वहां भी केंद्र से पैसा जाता है। यह सिक्स्थ शेड्यूल में आता है। राज्य सरकार इस पैसे पर हाथ नहीं डाल सकती, लेकिन राज्य सरकार होने के बावजूद वहां इतना बड़ा घोटाला हुआ है।

MR. CHAIRMAN : What is your demand?

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : यहां * एक आफीसर ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Do not take the name.

श्रीमती विजया चक्रवर्ती : एक आफीसर की छत की दीवार से, उसके घर की पानी की टंकी से साढ़े सत्रह करोड़ रूपए बरामद हुए। यह पैसा उग्रादी लोगों के पास जाता है, अखबार में भी इस बारे में आया है। मेरी विनती यह है कि सारे विभागों के बारे में विचार होना चाहिए। सीबीआई की इक्वायरी होनी चाहिए और कोई मिनिस्टर हो तो भी उसके खिलाफ इक्वायरी होनी चाहिए। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।